15.25 hrs.

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS

SIXTIETH REPORT

Mr. Chairman: Shri Hem Raj:

Shri Hem Raj (Kangra): I beg to move:

> "That this House agrees with the Sixtieth Report of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions presented to the House on the 24th March, 1965."

श्री हुकम चन्द कछवाय : (देवास) : सभापति महोदय, अब पांच मिनट की छुट्टी कर दी जाये ।

श्री हरि विष्णु कामत : (होशंगाबाद) : पांच मिनट आराम करने दिया जाय ।

Mr. Chairman: Order, Order.

Shri Raghunath Singh: After all it is a question of three or five minutes.

Mr. Chairman: The question is:

> "That this House agrees with the Sixtieth Report of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions presented to the House on the 24th March, 1965."

The motion was adopted.

Mr. Chairman: Shri Prakash Vir Shastri.

15.26 hrs.

RESOLUTION RE: SESSION OF PARLIAMENT AT BANGALORE OR HYDERABAD—*contd.*

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : (बिजनौर) : सभापति महोदय, 12 मार्च, को मैंने इस सदन में अपना यह प्रस्ताव उपस्थित किया था कि संसद का एक अधिवेशन दक्षिण भारत में हैदराबाद अथवा बंगलौर, इन दोनों में से किसी नगर में होना चाहिये । इसी प्रकार का ए सभा में भी 20 नवम्बर, 1959 को मैंने उपस्थित किया था । उस समय मेरे प्रस्ताव के विरोध में संसद-कार्य मंत्री ने जो युक्तियां दी थीं, आज मैं उन युक्तियों के उत्तर से ही अपने भाषण को आरम्भ करता हूं ।

संसद-कार्य मंत्री ने अपने उत्तर में सबसे पहली युक्ति यह दी थी कि अगर हम बंगलौर या हैदराबाद मे संसद् का एक अधिवेशन रखें, तो संसद के सात सौ सदस्यों के रहने की एक साथ व्यवस्था नहीं हो पायेगी । दूसरी युक्ति उन्होंने यह दी थी कि हम दिल्ली में संसद् के प्रत्येक सदस्य को टेलीफोन देते हैं, परन्तु उन नगरों में यह सुविधा भी हम सात सौ सदस्यों को एक साथ उपलब्ध नहीं करा पायेंगे । तीसरी युक्ति उन्होंने यह दी थी कि यहां पर सरकार के जो कार्यालय और कर्मचारी हैं, लोक सभा के अधिवेशन के दिनों में यहीं उन को इतना व्यस्त रहना पड़ता है, तो इन सब कार्यालयों और कर्मचारियों को उन नगरों में एक साथ शिफ्ट करना हमारे लिए बहुत कठिन हो जायेगा ।

एक और युक्ति उन्होंने यह भी दी थी कि सम्भव है कि दूसरे स्थान पर संसद का अधिवेशन होने से हम को प्रश्नोत्तर के घंटे की कटौती करनी पड़ जाये, जो कि संसद् में एक विशेष महत्व रखता है और जो संसद के कार्य का एक बहुत आवश्यक भाग है । एक बात उन्होंने यह भी कही थी कि संसद के सात सौ सदस्यों में जो अधिकांश सदस्य इधर के हैं, उन को जब संसद के अधिवेशन के लिए दक्षिण में जाना पड़ेगा, तो सरकार पर भत्ते का भार बहुत अधिक बढ़ जायेगा ।

इस के अतिरिक्त एक और युक्ति भी मुझे उन्हीं दिनों समाचार-पत्रों में देखने को मिली थी, जिसका मैं आज उल्लेख कर देना चाहता हूं । कुछ लोगों ने कहा था कि जब आज यह बात कही जाती है कि

[श्री प्रकाशवीर शास्त्री]

हैदराबाद या बंगलौर में संसद का अधिवेशन हो तो कल को अगर कोई यह मांग करेगा कि संसद का अधिवेशन कलकत्ता, शिलांग या गोहाटी में क्यों न हो, तो उस मांग को किस प्रकार रोका जा सकेगा ।

ये वे युक्तियां हैं, जो 1959 में मेरे उस प्रस्ताव के विरोध में दी गई थीं । मैं उन युक्तियों के उत्तर से ही अपने भाषण को आरम्भ करता हूं ।

जहां तक संसद कार्य मंत्री का यह कहना है कि सात सौ सदस्यों के निवास की व्यवस्था बंगलौर अथवा हैदराबाद में कैसे हो सकेगी मैं संसद कार्य मंत्री से पूछना चाहता हूं कि साउथ एवेन्यू और नार्थ एवेन्यू जहां पर कि आज संसद के अधिकांश सदस्य रहते हैं, देश के स्वतंत्र होने के पहले क्या यहां पर वाइसराय की मिलिट्री रहती थी या नहीं ? लेकिन आपको एक साथ सात सौ सदस्यों के रहने की व्यवस्था करनी थी इसलिए आपने सेना के रहने के उस स्थान को संसद सदस्यों को दे दिया । अभी यह जो एम० पीज० क्लब बना है और पूरा बना भी नहीं है बरसों में बन कर तैयार होगा जब आपने इसकी आवश्यकता अनुभव की तो क्या इसको बनाना प्रारम्भ नहीं किया ? अब आवश्यकता अनुभव हुई तो क्या यहां सेना के जो फ्लैट्स थे उनको खाली कराकर संसद सदस्यों के लिए निवास की व्यवस्था नहीं की ? आपने यह सब किया । यदि आप इसको भी आवश्यक समझ लेंगे कि संसद का एक अधिवेशन हैदराबाद या बंगलौर में हो तो कुछ व्यवस्थायें ऐसी हैं जो तत्काल भले ही कठिन हों लेकिन बाद में आप कर सकते हैं । दूसरी बात यह है कि मेरे इस प्रस्ताव में यह कहीं नहीं कहा गया है कि संसद का अगला अधिवेशन ही हैदराबाद में या बंगलौर में होने लगे । भले ही आप एक वर्ष के बाद वह करें लेकिन सिद्धांततः इस बात को स्वीकार तो कर लें कि देश की एकता को ध्यान में रखते हुए, देश के बहुत बड़े भाग की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए संसद का एक अधिवेशन दक्षिण भारत के किसी नगर में किया जाए और उस समय तक यह सारी निवास आदि की व्यवस्था की जा सकती है ।

जहां तक टेलीफोन की सुविधाओं का सम्बन्ध है, बंगलौर में मैंने देखा है कि विधान सभा के सदस्यों के रहने का जो स्थान है, वहां प्रत्येक कमरे में टेलीफोन लगा हुआ है, वहां उनको टेलीफोन की सुविधा प्राप्त है । दूसरी बात यह भी है कि बंगलौर में तो टेलीफोन की सबसे बड़ी फैक्ट्री है और सौभाग्य से टेलीफोन फैक्ट्री जिस मंत्रालय के अन्तर्गत आती है, उसके भी आप मंत्री हैं । एक दो पंक्तियों का पत्र अगर आपकी तरफ से भेज दिया जाए कि सात सौ टेलीफोन्ज की व्यवस्था अमुक तारीख तक करनी है तो मैं समझता हूं कि यह इतना बड़ा काम नहीं होगा जिसको वे न कर सकें । आपके केवल पत्र लिखने की देर है । यह कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि इतने महत्वपूर्ण निर्णय पर आपके मार्ग में किसी प्रकार की कोई कठिनाई हो ।

तीसरी बात यह है कि सरकार के कार्यालयों को और सरकार के इतने कर्मचारियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर किस प्रकार भेजा जा सकेगा । इसके सम्बन्ध में यह कहना चाहता हूं कि यह प्रस्ताव अभी संसद में चर्चा का विषय भी नहीं बन पाया था कि कांग्रेस पार्टी की एग्जैक्टिव कमेटी में शायद इस पर चर्चा हुई और समाचारपत्र में यह प्रकाशित हुआ कि संसद में ऐसा ऐसा एक प्रस्ताव आने वाला है और कांग्रेस संसदीय दल की कार्यकारिणी के अधिकांश सदस्य उसके साथ सहमत हैं । इस प्रकार के कुछ समाचार समाचारपत्रों में प्रकाशित हुए हैं । क्योंकि वह प्रस्ताव मेरा था और समाचारपत्रों में यह बात गई कि वह प्रस्ताव अमुक सदस्य

के द्वारा उपस्थित किया जाएगा, तो मुझे कुछ सरकारी कार्यालयों में काम करने वाले व्यक्तियों से भी मिलने का मौका मिला । एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात उन्होंने मुझे बताई । उन्होंने कहा कि आज दिल्ली में एक स्थान पर सरकार का काम होने से काम के अन्दर बड़ी शिथिलता आ गई है और उन्होंने मुझे फाइलों के ढेर के ढेर लगे हुए दिखाये । उन्होंने कहा कि अगर हमें पता लग जाएगा कि संसद का एक अधिवेशन कहीं बाहर होने वाला है तो हम उन फाइलों में से छंटनी करेंगे और छंटनी करने के बाद जो आवश्यक फाइलें होंगी उनको ले लेंगे जिनसे यहां भी काम चल सकता है और बंगलौर या हैदराबाद में भी काम चल सकता है । यह जो ढेर लगा हुआ है इस में जो आवश्यक कागजात हैं इनको एकत्र करने की ओर या इनका चयन करने की ओर भी हमारा ध्यान जाएगा ।

आपने यह भी कहा है कि संसद का अधिवेशन वहां होने से सदस्यों को वेतन भत्ता आदि देने के लिए सरकार पर आर्थिक भार बढ़ जायेगा । यह बात कुछ समझ में नहीं आती है । इसका कारण यह है कि दक्षिण के सदस्य जैसे आज यहां पर आते हैं कल को अगर बंगलौर में या हैदराबाद में अधिवेशन होगा तो यहां के सदस्य वहां पर जायेंगे और इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा । इन भत्तों में कोई एक दो पैसों का भी अन्तर नहीं पड़ेगा, यह मेरा अनुमान है । रही यह बात कि कलकत्ता, महाराष्ट्र या और कहीं संसद का अधिवेशन क्यों न हो, हैदराबाद और बंगलौर का ही नाम विशेष रूप से प्रस्तावक ने अपने प्रस्ताव में क्यों रखा है, तो मैं कहना चाहता हूं कि हैदराबाद और बंगलौर का नाम इसलिए प्रस्तुत किया है कि दक्षिण भारत की और सब राजधानियों को देखने के बाद ही मैंने सोचा कि कौन स्थान इस प्रकार का है जहां सरकार को थोड़ी कठिनाई के साथ ऐसी व्यवस्था करनी पड़ेगी कि संसद का एक अधिवेशन वहां पर हो तो वह हैदराबाद और बंगलौर ही मुझे प्रतीत हुए । बंगलौर इस दृष्टि से भी कि बंगलौर का जो विधान सभा भवन है । जो श्री हनुमंतैया जी का बनाया हुआ है जिस को विधान सौध कहते हैं वह कि हमारी इस लोक सभा के भवन से कहीं अधिक बड़ा है और उसमें संसद की बैठकें बड़ी सुगमता के साथ हो सकती हैं केवल निवास की कठिनाई है और उसको जैसे आपने 1947 और 1950-51 में सुलझाया था और तत्काल उसकी व्यवस्था की थी, वैसे ही जिस दिन आप इसके बारे में निश्चय कर लेंगे तो निवास की कठिनाइयों को हल करने में भी आपको कोई विशेष दिक्कत नहीं होगी ।

रही बात यह कि महाराष्ट्र वाले कहेंगे कि हमारे यहां हो और कलकत्ता वाले कहेंगे कि हमारे यहां हो, मेरा अपना अनुमान यह है कि हैदराबाद और बंगलौर में अगर अधिवेशन होने लगता है तो कलकत्ता से हैदराबाद की दूरी और कलकत्ता से दिल्ली की दूरी को अगर नाप लिया जाए तो कलकत्ता वालों के लिए हैदराबाद अधिक निकट होगा अपेक्षाकृत दिल्ली के । दूसरे इस में मुझे कोई आपत्ति नहीं है और मैं अपना प्रस्ताव उपस्थित करते समय इस हठ पर नहीं हूं कि हैदराबाद और बंगलौर में ही या इन दोनों में से किसी एक स्थान पर ही संसद का अधिवेशन हो । अगर देश के मध्यवर्ती स्थान होने की दृष्टि से नागपुर को इस देश का मध्य माना जाता है जहां कि विधान सभा रहने से आज विधान सभा का भवन और विधान सभा के सदस्यों के रहने के स्थान खाली पड़े हुए हैं, वहां आप अधिवेशन कर लें, इसको भी आप मान लें तो यह भी विचारणीय हो सकता है । लेकिन सरकार को इसके बारे में कुछ विचार तो करना ही चाहिये । सत्रह वर्षों से सरकार जैसे और सब कार्यों में एक लकीर पीटती चली आ रही है उसी प्रकार संसद के अधिवेशन कहां हों इस दिशा में भी बराबर लकीर पीटती चली जा रही है ।

[श्री प्रकाश वीर शास्त्री]

एक अधिवेशन समाप्त होता है कि राष्ट्रपति जी के द्वारा सम्मन जारी हो जाते हैं कि अमुक तारीख को राष्ट्रपति ने दिल्ली में आपको संसद के अधिवेशन में सम्मिलित होने के लिए बुलाया है। हम तो उस दिन की प्रतीक्षा में हैं जिस दिन भारत के राष्ट्रपति की ओर से इस प्रकार के सम्मन जायेंगे कि संसद के अगले अधिवेशन में सम्मिलित होने के लिए भारत के राष्ट्रपति ने आपको हैदराबाद या बंगलौर में आमंत्रित किया है। वह संसद के सदस्यों की क्रियाशीलता बढ़ाने वाली एक बात भी होगी। दूसरे उनमें कुछ ताजगी भी आयेगी। सबसे बड़ा लाभ तो यह होगा कि उन क्षेत्रों के निवासी भी यह समझेंगे कि संसद क्या है।

संविधान निर्माताओं ने एक बड़ी बुद्धिमता का काम किया। जब उनके सामने यह प्रश्न आया कि संसद का अधिवेशन कहां होना चाहिये तो उन्होंने इस विषय में किसी प्रकार का कोई निर्णय ही नहीं लिया और इस अध्याय को खुला छोड़ दिया। अगली पीढ़ी पर इस महत्वपूर्ण बात पर निर्णय लेने की बात छोड़ दी, अपनी कलम वहीं रोक दी देश की एकता की दृष्टि से और देश की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रपति जी को अथवा सरकार को यह अधिकार है कि वे चाहें तो दिल्ली में अधिवेशन बुला सकते हैं और चाहें तो हैदराबाद, बंगलौर या नागपुर कहीं भी अधिवेशन बुला सकते हैं। उस में ऐसी कोई बात नहीं है कि संसद का अधिवेशन दिल्ली में ही हो सकता है कहीं अन्यत्र नहीं हो सकता है।

दूसरी बात यह है कि संसद का मुख्य कार्यालय यहां होने से दिल्ली में जनसंख्या आदि का भार बहुत बढ़ने लगा है, कि दिल्ली बढ़ते बढ़ते गुड़गाव तक पहुंच गई है और इधर बल्लभगढ़ तक पहुंच गई है और अब पलवल तक भी पहुंच रही है। ऐसी भी चर्चा है कि दिल्ली के अन्दर गाजियाबाद को भी लिया जाए और दूसरे पंजाब और उत्तर प्रदेश के हिस्सों को भी ले लिया जाएगा। अगर लोगों को यह पता लग जाए कि संसद के दो अधिवेशन दिल्ली में होंगे और एक अधिवेशन दक्षिण भारत में होगा तो दिल्ली पर जनसंख्या का जो दबाव बराबर बढ़ रहा है इस में कुछ न कुछ कमी जरूर हो जाएगी और लोगों के निर्णय लेने का ढंग भी बदलेगा।

दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली देश के मध्य में नहीं है। नहीं कहा जा सकता है कि पीछे अंग्रेजों ने क्या समझ कर, क्या सोच कर दिल्ली को राजधानी बनाया। मुझे अच्छी तरह से याद है कि जब राजधानी कलकत्ता में थी और अंग्रेज कलकत्ता से राजधानी को दिल्ली लाने लगे तो उर्दू के एक शायर ने उस समय लिखा था :

> कदम अंग्रेज अब कलकत्ता से दिल्ली
> में रखते हैं,
> तिजारत खूब कर ली, देख नियामत
> कैसे करते हैं।

जिस समय अंग्रेज यहां आया था उस समय भी उनको इस बात का सन्देह था कि दिल्ली का इतिहास कुछ अच्छा नहीं है राजधानी के लिए। दिल्ली में राजधानी बना कर बैठने से मुश्किलों और परेशानियों की गठरियां सिर पर रहती चली आई हैं। विदेशी शासकों के लिए ही नहीं स्वतंत्र भारत के शासकों के लिए भी यह ही चीज पिछले सत्तरह वर्षों से चलती आ रही है स्वस्थ निर्णय लेने की प्रवृति का अभाव सरकार में हो गया है। जितने भी हमारे शासक हैं वे निर्णय को टालने में तो विश्वास रखते हैं, किसी भी निर्णय पर पहुंचने में विश्वास नहीं रखते। अगर किसी अच्छे स्थान पर जो दिल्ली के इतिहास से कुछ भिन्न हो अधिवेशन किया जाय और वहां की खुली हवा में और खुले वातावरण में हमारे

शासक बैठ तो बहुत सम्भव है कि इनके सोचने के ढंग में भी कुछ परिवर्तन आ जायगा ।

राजनीतिक और भोगोलिक दृष्टि से भी इस समस्या की उपेक्षा हमें नहीं करनी चाहिये । पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल अयूब और पाकिस्तान गवर्नमेंट की इस सूझबूझ को हम कुछ कम उपेक्षा की दृष्टि से न देखें कि वे करांची से हटा कर राजधानी को रावलपिंडी क्यों ले गये । करांची में तो उनको सारी सुविधायें उपलब्ध थी, वहां पर तो भवन भी थे, लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी वे समझते थे कि आज की दुनिया में सामरिक महत्व का भी एक स्थान होता है । सीमा के निकट जो स्थान होते हैं, वहां पर राजधानी नहीं रखी जा सकती है । भारतवर्ष जैसे देश को जिसने पिछले सतरह सालों में, मित्रों का निर्माण तो कम किया है और शत्रुओं का निर्माण अधिक किया है सीमा के पास अपनी राजधानी नहीं रखनी चाहिये । ऐसा होना भविष्य की दृष्टि से कुछ अच्छा नहीं है । मेरा कहने का अभिप्राय यह नहीं है कि हमारी राजधानी सीमा के निकट है, इसलिए हम डर रहे हैं या हमारी राजजधानी सीमा के निकट है, इसलिए हमारे मस्तिष्कों में भय है । समझदारी और दूरदर्शिता का तकाजा यह है कि एक वैकल्पिक राजधानी हमारे मस्तिष्क में अवश्य रहनी चाहिये । कभी भी इस प्रकार के किसी परिवर्तन की अपेक्षा हो तो उस समय तत्काल देश को कोई कठिनाई अनुभव न हो । इस समय दिल्ली की हालत यह है कि यह पाकिस्तान की सीमा जो राजस्थान से आ कर लगती है वहां से अढ़ाई सौ मील ही दूर पड़ती है । अमृतसर से हो कर अटारी मेक पाकिस्तान की सीमा यहां से केवल 295 मील दूर है । दिल्ली से तिब्बत की जो सीमा है जहां कि चीन की सेनायें आज भारी मात्रा में है और जिस की ओर हमारे संरक्षण मंत्री ने अभी कुछ समय पहले हमारा ध्यान खींचा था वह केवल यहां से दो सौ मील दूर पड़ती है । तो सामरिक दृष्टि से भी इन सारी बातों को अपनी आंखों से ओझल नहीं किया जा सकेगा ।

एक और सबसे बड़ी बात है, जिसके लिये मैं चाहूंगा कि संसद का एक अधिवेशन दक्षिण भारत में हैदराबाद अथवा बंगलोर अथवा किसी और नगर में हो, वह है सांस्कृतिक राजनीतिक और सामाजिक एकताओं का आदान प्रदान । यह आवश्यक है कि जो राजनीतिक प्रतिनिधि हों उनको आपस में एक दूसरे के क्षेत्रों की पूरी तरह से जानकारी रहे । वह एक दूसरे के स्थानों की समस्याओं से परिचित हों । दिल्ली में राजधानी होने से उस क्षेत्र के लोगों में बहुत सी गलतफहमियां पैदा हो रही हैं । सबसे बड़ी गलतफहमी तो यह है कि लोग संसद के बारे में अच्छी तरह से जानते ही नहीं हैं । एक ऐसे ही क्षेत्र में मुझे जाने का अवसर मिला । वहां के लोग समझते हैं कि पार्लियामेंट ऐसे ही है जैसे कि कोई कमेटी होती है । उस कमेटी में कुछ लोग बैठते हैं और बैठ कर कुछ फैसले कर लेते हैं और दूसरों पर वह फैसले लाद दिये जाते हैं । लेकिन जब वे अपनी आंखों से देखेंगे तो समझेंगे कि पार्लियामेंट में जब कोई निर्णय होते हैं तो उन पर पूरी तरह से स्वतंत्रता के साथ विचारों का आदान प्रदान होता है । उन पर पूरी तरह से विचार होता है तब कोई निर्णय लिये जाते हैं । जब वे अपनी आंखों से सब कुछ देखेंगे तो उन्हें कोई दूसरी ही बात मालूम होगी ।

दूसरी गलतफहमी इस क्षेत्र में और दक्षिण भारत में और भी है । कभी कभी कहा जाता है, जैसे कि मद्रास में भाषा के प्रश्न को ले कर बहुत उपद्रव हुए तो उसके लिये यहां बड़ा प्रचलित शब्द है दक्षिण भारत । लेकिन दक्षिण भारत में जो तीन अन्य प्रान्त हैं मद्रास के अतिरिक्त मैसूर, केरल और आंध्र उन के नेता बार बार कहते हैं कि बाबा मद्रास वालों के आन्दोलन हमको क्यों

[श्री प्रकाश वीर शास्त्री]

सम्मिलित करते हो ? हमारे यहां इस प्रकार की घटना कहां घटा है। मैसूर के शिक्षा मंत्री श्री कंठ ने अभी चार-पांच दिन पहले मैसूर विधान सभा में जो वक्तव्य दिया है उसमें स्पष्ट कहा है कि हिन्दी के अतिरिक्त कोई दूसरी भाषा इस देश की राज भाषा नहीं बन सकती। केरल में कुछ लोगों ने भाषा के प्रश्न को ले कर जनता को धोखा देना चाहा, लेकिन केरल में जहां हिन्दी पढ़ना अनिवार्य है वहां भाषा के प्रश्न को राजनीति में प्रवेश नहीं करने दिया गया हालांकि कुछ लोगों ने इस सम्बन्ध में प्रयास भी किया।

आंध्र का एक बड़ा हिस्सा जो पुराना हैदराबाद है वह तो है ही हिन्दी भाषा भाषी निज़ामी शासन के उर्दू भाषी होने के कारण। लेकिन कुछ और भी भाग हैं जहां उस प्रकार की धारणायें नहीं हैं जो मद्रास के आन्दोलन को लेकर फैलाई गईं। दक्षिण भारत में अगर संसद का एक अधिवेशन होगा तो जहां पर हिन्दी का इतना विरोध हो रहा है वह भाग हमारी भावनाओं से परिचित होगा और हम उन की भावनाओं से परिचित होंगे। इस से हमारे हृदय में जो गलतफहमियां हैं उन का निराकरण हो जायेगा और उन के हृदय में जो गलतफहमियां हैं उनका भी निराकरण हो जायेगा। लेकिन जब उत्तर और दक्षिण भारत के लोग एक दूसरे से आपस में मिलेंगे ही नहीं तो उन की भावनाओं का आदान प्रदान कैसे होगा। यहां दक्षिण भारत के जितने लोग रहते हैं वे सायंकाल में कनाट प्लेस में घूमने जाते हैं या चांदनी चौक जाते हैं, दिल्ली की सार्वजनिक सभाओं में जाते हैं। इसी तरह से यहां के लोगों को वहां जाने पर उन लोगों की भावनाओं को समझने का अवसर मिलना चाहिये। इस से हमारी भी कुछ गलतफहमियों का निराकरण होगा। और प्रेरणायें भी मिलेंगी।

आज जिस तरह से दक्षिण भारत के राज्यों का औद्योगीकरण हुआ है, उन की तुलना में अगर उत्तर भारत के बिहार और उत्तर प्रदेश को देखें तो ऐसा लगता है कि अभी तक यह प्रदेश पराधीन भारत में हैं। उन राज्यों का औद्योगीकरण हुआ ही नहीं है। जब उत्तर भारत के लोग दक्षिण भारत के औद्योगीकरण को देखेंगे, मद्रास, केरल और आंध्र को देखेंगे तो वे अपनी राज्य सरकारों को भी विवश करेंगे कि सारा दबाव प्रदेश में खेती पर ही क्यों दे रहे हैं। अपना प्रदेश औद्योगिक विकास की ओर क्यों अग्रसर नहीं होता। इस प्रकार के आदान प्रदान से एक दूसरे को प्रेरणायें मिलेंगी।

इस के बाद सब से बड़ी बात है सांस्कृतिक एकता की। मुझे अच्छी तरह से याद है, कुछ दिन पहले एक अमरीकी यात्री भारत घूमने के लिये आया। वह मेरा परिचित था। मैं उसे भूतपूर्व प्रधान मंत्री नेहरू जी से मिलाने ले गया। नेहरू जी ने उससे छूटते ही प्रश्न पूछा कि क्या तुम ने हिन्दुस्तान को देखा। जब उस ने बतलाया कि वह भारतवर्ष घूम चुका है तब पंडित जी ने पूछा कि वह हिन्दुस्तान में कहां कहां गया। वह कहने लगा कि मैं अयोध्या गया, बनारस गया, इलाहाबाद गया, पटना गया, कलकत्ते गया। जवाहरलालजी ने तुरन्त ही कहा कि तुमने हिन्दुस्तान नहीं देखा। उसने कहा कि आप कैसे कहते हैं कि मैंने हिन्दुस्तान नहीं देखा। मैं आप को नेहरू जी के ही शब्द बतलाता हूं। उन्हों ने कहा कि हिन्दुस्तान का नाम जो हिन्दुस्तान है वह दक्षिण भारत का दिया हुआ है। जब तक तुम साउथ इंडिया नहीं देखोगे तब तक हिन्दुस्तान नहीं देख सकोगे। पंडित जी ने कहा कि जिस दृष्टि से इस देश का नाम हिन्दुस्तान दिया गया है उसे देखने के लिये यू गो टू साउथ। तुम दक्षिण जा कर देखो तब पता लगेगा कि भारत क्या है। इस दृष्टि से भी यह चीज आवश्यक है कि हमें वहां जाना चाहिये और वहां जा कर उन सांस्कृतिक प्रवृत्तियों को देखना चाहिये।

दक्षिण भारत के जो संसद सदस्य हैं यहां पर वह एक बात में हम लोगों से अपनी तुलना कर के सोचते हैं कि उन के अधिकारों में कटौती हुई होती है । अब शनिवार और रविवार, दो दिन संसद का अवकाश रहता है । अध्यक्ष महोदय ने संसद के अधिवेशन को दो दिन न कर के जहां मंत्रियों को सुविधा दी है वहां संसद सदस्यों को भी सुविधा दी है कि वे भी अपने निर्वाचन क्षेत्रों में जायें । इस सम्बन्ध में दक्षिण भारत के सदस्यों का कहना यह है कि जिन सदस्यों के निर्वाचन क्षेत्र 100, 200 या 250 मील की दूरी पर हैं वे अगर शाम को ट्रेन में बठें तो सुबह अपने निर्वाचन क्षेत्र में पहुंच जाते हैं । इस प्रकार से वह लोग पार्लियामेंट भी अटेंड करते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र की भी सेवा करते हैं । लेकिन उन को यह सुविधायें नहीं हैं । यदि एक अधिवेशन दक्षिण में हो तो जिस तरह से दो अधिवेशनों में हम अपने निर्वाचन क्षेत्र में जा सकते हैं उसी प्रकार से एक अधिवेशन में वे भी अपने निर्वाचन क्षेत्रों में जा सकेंगे ।

इस के बाद सब से बड़ी बात यह है कि जसे मैं ने कांग्रेस संसदीय दल की कार्य-कारिणी के सदस्यों का मत बतलाया कि उन में से अधिकांश ने इस बात से सहमति प्रकट की है, उसी तरह से मैं अपने इस प्रस्ताव की पुष्टि में, जहां सभापति महोदय आप बैठे हैं उसी स्थान पर बैठने वाले भूतपूर्व अध्यक्ष श्री अनन्तशयनम आय्यंगार का एक कथन प्रस्तुत करना चाहता हूं । वह उन्होंने उस समय कहा था जब मैं ने यह प्रस्ताव पिछली लोक सभा में उपस्थित भी नहीं किया था । मैं ने प्रस्ताव दिया था दिसम्बर, 1959 में लेकिन श्री अनन्तशयनम आय्यंगर ने 14 जून, 1957 को मैसूर विधान सौध में, जोकि वहां की विधान सभा का भवन है, विधान सभा सदस्यों के बीच में भाषण देते हुए यह शब्द कहे थे :

> "दक्षिण और उत्तर भारत की भावात्मक एकता के लिये अत्यन्त आवश्यक है कि लोक सभा का एक अधिवेशन बंगलौर में हो, और विधान सौध जो विधान सभा का भवन है वह इस कार्य के लिये अत्यन्त उपयुक्त है और संसद् का अधिवेशन वहां हो सकता है ।"

यह संसद् सदस्यों की सम्मति नहीं है बल्कि संसद् के अध्यक्ष की सम्मति भी है । इस प्रकार के लोग जब यह सम्मति दे चुके हैं मेरे प्रताव की पुष्टि में तो सरकार इस सम्बन्ध में विचार न करे, इस में मुझे कोई दूरदर्शिता प्रतीत नहीं होती । हो सकता है कि सन् 1959 में जबकि यह प्रस्ताव मैंने प्रस्तुत किया था मेरे प्रस्ताव की युक्तियों में कोई विशेष प्रभाव न हो, उस समय की परिस्थितियां इस प्रकार की न हों कि वह श्री सत्य नारायण सिंह के मस्तिष्क को प्रभावित कर पातीं । लेकिन आज परिस्थितियां बदल चुकी हैं । आज देश को एकता की दृष्टि से देखना चाहिये ।

मैं अपने वक्तव्य को उपसंहार की ओर ले जाते हुए फिर कहना चाहूंगा कि यह प्रस्ताव इस पृष्ठभूमि में न लिया जाये कि मद्रास के भाषा आन्दोलन से प्रभावित हो कर मैं ने इस को प्रस्तुत किया है । अगर ऐसा होता तो मैंने सन् 1959 में प्रस्ताव प्रस्तुत न किया होता । मैं देश की एकता की दृष्टि से उस समय भी यह बात कहता था और आज भी कहता हूं । मैं समझता हूं हूं कि पहली बार जब मैं ने सन् 1959 में प्रस्ताव पेश किया था उस के पांच वर्ष बाद इस में और बल आ गया है ।

मुझे विश्वास है कि संसदीय कार्य मंत्री आज गम्भीरता के साथ इस पर कोई निर्णय लेंगे । मैं उन से इस प्रकार का आश्वासन चाहूंगा जिस से संसद् सदस्यों को सन्तोष

[श्री प्रकाश वीर शास्त्री]

हो और भारत के एक भाग के निवासियों को ही नहीं बल्कि दक्षिण भारत को अथवा अहिन्दी भाषाभाषी शेष भारत को भी सन्तोष हो ।

Mr. Chairman: Resolution moved:

"This House is of opinion that one Session of Parliament be held at Bangalore or Hyderabad every year."

Shri Shree Narayan Das: I beg to move:

That for the original resolution, the following be substituted, namely:

"This House calls upon the Government to appoint a committee of Members of Parliament at an early date to consider the necessity, desirability and feasibility of holding one Session of Parliament at some central place in South India every year and to suggest ways and means of doing so if the committee recommends such a proposal." (1)

Shri Siddheshwar Prasad:

That in the resolution,—

For "one" substitute "Budget". (2)

Mr. Chairman: Before me there is a list of about 17 Members who are anxious to speak. We have got at our disposal 1¼ hours at the most. So, it will be better if every hon. Member takes only five minutes. As we proceed, we will take the opinion of the House whether the time should be extended or not.

श्री श्रीनारायण दास (दरभंगा) : अभी माननीय सदस्य श्री प्रकाशवीर शास्त्री जी ने जो संकल्प संसद् के सामने उपस्थित किया है वह बहुत आकर्षक मालूम होता है ।

यह बात सभी को मालूम है कि संविधान में इस बात का कोई जिक्र नहीं है कि संसद् का अधिवेशन कहां बुलाया जाय । यह राष्ट्रपति के ऊपर छोड़ दिया गया है कि वह जहां मुनासिब समझें संसद् का अधिवेशन बुलाया करें । माननीय सदस्य महोदय ने इस संकल्प को सदन के सामने रखते हुए उसके अनेक पहलुओं पर प्रकाश डाला है । मैं समझता हूं कि यह ऐसा विषय है जिस पर गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिए ।

जब से स्वतंत्रता प्राप्त हुई है और संसद् का निर्माण हुआ है, तब से यह प्रश्न प्रस्ताव के रूप में और लाबी में चर्चा के रूप में भी बराबर चलता रहा है, कि क्या यह वांछनीय है कि संसद् का एक अधिवेशन दक्षिण भारत के किसी केन्द्रीय स्थान में बुलाया जाय, और जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है, इस प्रस्ताव पर विचार भी हुआ है, पर हम लोग सरकार को इस पक्ष में करने में अभी तक समर्थ नहीं हुए हैं ।

मेरा खयाल है कि यह प्रस्ताव जहां बहुत आकर्षक है वहां इस में कुछ खराबियां भी हैं । भावात्मक एकता के लिए, सांस्कृतिक एकता के लिए, परस्पर सहयोग के लिए और एक दूसरे के विचारों से अवगत होने के लिए यह आवश्यक है कि हम देश के विभिन्न भागों में कम से कम दो स्थानों में, मिला करें, और मेरा खयाल है कि इस से बहुत लाभ होगा । लेकिन साथ ही साथ मैं समझता हूं कि सरकार का दृष्टिकोण भी विचारणीय है कि क्या क्या कठिनाइयां सरकार के सामने हैं । सिद्धान्त रूप में तो इस प्रस्ताव से किसी का मतभेद नहीं हो सकता । अंग्रेजों के जमाने में भी संसद् का अधिवेशन दो जगहों में, दिल्ली और शिमला में, होता था । मैं समझता हूं कि सिद्धान्त रूप में तो सरकार को भी इस से कोई विरोध नहीं होना चाहिए । लेकिन हो सकता है कि कोई बात आवश्यक भी हो, वांछनीय भी हो, लेकिन समीचीन न हो आर्थिक दृष्टि से

या और भी दृष्टियों से । इसलिए मेरा संशोधन है कि इस प्रश्न पर विचार करने के लिए एक समिति नियुक्त की जाये, जिस में संसद् के माननीय सदस्य हों और यह समिति पक्ष और विपक्ष दोनों के दृष्टिकोणों को सुने और सरकार के सामने जो कठिनाइयां हैं उन पर भी विचार करे और अपनी सम्मति दे । इसीलिए मैंने यह संशोधन रखा है कि एक समिति का निर्माण किया जाये जिस में इस प्रश्न के हर पहलू पर विचार किया जाये कि यह आवश्यक है या नहीं, वांछनीय है या नहीं, व्यावहारिक है या नहीं। इन सब पहलुओं पर विचार कर के यह समिति अपनी रिपोर्ट दे और उस पर विचार कर के हम निर्णय लें ।

मैं सदन का ज्यादा समय नहीं लेना चाहता क्योंकि बहुत से माननीय सदस्य अपने विचार व्यक्त करने वाले हैं, लेकिन जहां मैं इस प्रस्ताव को आकर्षक समझता हूं वहां इस को कठिनाइयों को भी देखना चाहिए । इसलिए मैं ने यह संशोधन रखा है, और मेरा खयाल है कि सरकार इस संशोधन को स्वीकार कर के एक समिति का निर्माण जल्दी से जल्दी करेगी ताकि इस प्रश्न पर पूरी तरह विचार किया जा सके और सदन को इस प्रस्ताव पर विचार करने का मौका मिले । यह संकल्प बहुत अच्छा है, इसलिए मैं चाहता हूं कि इस पर विचार किया जाय ।

15.53 hrs.

[MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*]

श्री रामेश्वर प्रसाद : मैं श्री प्रकाशवीर जी शास्त्री के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं । पर मैं इसके एक संशोधन यह पेश करता हूं कि "एक" के स्थान पर "बजट" रखा जाए ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री जी ने अपने प्रस्ताव के समर्थन में जो दलीलें पेश की हैं उनमें से एक बहुत बड़ी दलील यह है कि आज देश में जो स्थिति है उसमें हम अपने को भारत के निवासी नहीं मानते हैं। हम अपने को किसी एक प्रदेश का निवासी मानते हैं, या किसी जिले का निवासी मानते हैं । ऐसी स्थिति में यह बहुत आवश्यक है कि हमारी सरकार ऐसा कदम उठावे जिससे कि इस देश में भावात्मक एकता की जड़ मजबूत हो और इस देश का प्रत्येक नागरिक इस बात का अनुभव करे कि वह इस या उस प्रान्त का निवासी नहीं हैं, बल्कि भारत का निवासी है।

अभी जो स्थिति है उसमें हम अक्सर यह पाते हैं कि जब किसी आदमी को अपने प्रदेश में नौकरी नहीं मिलती और उसको बाहर दूसरे प्रदेश में या अपने घर से दूर नौकरी करनी पड़ती है, तो वह नौकरी मिलने के बाद किसी तरह अपने घर के नजदीक आने के लिए परेशान होता है । आज देश में स्थिति यह है कि हम उत्तर भारत की बात करते हैं, दक्षिण भारत की बात करते हैं, पूर्वी भारत की बात करते हैं, पश्चिमी भारत की बात करते हैं । इससे भारत की एकता नहीं हो सकती । इसलिए मैं इसको बहुत जरूरी समझता हूं कि संसद् का एक अधिवेशन दिल्ली के अतिरिक्त हैदराबाद या बंगलौर में हो । इससे देश की भावात्मक एकता, सामाजिक एकता, सांस्कृतिक एकता बढ़ेगी तथा देश के आर्थिक जीवन पर भी बहुत असर पड़ेगा । आज विघटनकारी प्रवृत्तियों के कारण अक्सर देश की एकता के लिए संकट पैदा हो जाता है और इस वजह से देश की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक विकास की हमारी नीतियां सफल नहीं होतीं । इस दृष्टि से भी यह आवश्यक है कि इस प्रश्न पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया जाए । यह भी जरूरी है कि सरकार के सामने जो कठिनाइयां हैं और माननीय संसद् कार्य मन्त्री ने पहले भी जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में बातें कही थीं उन पर भी गम्भीरता के साथ विचार होना चाहिए । लेकिन इस समय देश में जो परिस्थितियां हैं और जो

[श्री सिद्धेश्वर प्रसाद]

वातावरण है उसको देखते हुए मुझे ऐसा मालूम पड़ता है कि यह बिल्कुल उचित और वाजिब है कि सरकार इस प्रस्ताव के महत्व को ध्यान में रखते हुए इस पर विचार करे और संसद् का बजट अधिवेशन हैदराबाद में या बंगलौर में करने का निर्णय ले । मैंने बजट अधिवेशन इसलिए कहा है कि संसद् का कोई भी छोटा सा अधिवेशन महीने डेढ़ महीने का हैदराबाद या बैंगलौर में होगा तो उसका बहुत असर नहीं हो सकता । खास कर गरमियों के मौसम में दिल्ली में जो लू चलती है उससे भी हम हैदराबाद या बंगलौर में सेशन करके बच सकते हैं । इन सब लाभों को देखते हुए जो कठिनाइयां इसके मार्ग में आती हैं उनको दूर करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए । श्री नारायण दास जी ने जो संशोधन रखा है वह मुनासिब है और उसको स्वीकार करने से यह लाभ होगा कि इस प्रश्न के सारे पहलुओं पर विचार करने का अवसर उस समिति को मिल जाएगा ।

दिल्ली के अतिरिक्त इन स्थानों पर संसद् का अधिवेशन करने से लोगों को देश के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जाने का अवसर मिलेगा और इससे देश की भावात्मक एकता, सांस्कृतिक एकता, सामाजिक एकता को बहुत बल मिलेगा । पहले लोग इस देश में धार्मिक अधिक थे और धर्म के विचार से लोग देश के विभिन्न भागों में आते जाते थे । आज राजनीति ने धर्म का स्थान ले लिया है और इसलिए मैं समझता हूं कि सरकार ऐसा कदम उठाए जिससे देश के लोगों को एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जाने का अवसर प्राप्त हो और वे आपस में मिलें, जिससे जो आज तनाव पैदा हो जाते हैं वे समाप्त हों और देश में अधिक एकता पैदा हो ।

इसलिए मेरा निवेदन है कि इस प्रश्न पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया जाए और अगर इस वर्ष सम्भव न हो तो एक साल में दो साल में जब भी स्थिति अनुकूल हो तो संसद का बजट अधिवेशन हैदराबाद या बंगलौर में करने का प्रबन्ध किया जाए ।

इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री यशपालसिंह (कैराना): उपाध्यक्ष महोदय, मैं बड़ी इज्जत के साथ यह अर्ज करना चाहता हूं कि माननीय भाई प्रकाश वीर शास्त्री जी रिजोल्यूशन लाए हैं, इसका अनुमोदन करना मेरे लिए उचित नहीं है । मैं शास्त्री जी से बहुत प्रेम करता हूं और उनके प्रति मुझे बहुत श्रद्धा है, लेकिन मैं उनके इस प्रस्ताव का समर्थन नहीं कर सकता । हमारे यहां नीति शास्त्र में लिखा है :

"श्रुतयोपि भिन्नाः स्मृतयोपि भिन्नाः
अनेकः मुनीनां वचन प्रमाणं ।"

तो इख्तिलाफ करने से प्रेम और बढ़ता है । कोई दलील ऐसी नहीं दी गयी है जिससे कि हम यह मान जाएं कि हैदराबाद में या बंगलौर में संसद् का अधिवेशन करना जरूरी है । एक बात तो यह कही जाती है कि संविधान में यह कहीं नहीं लिखा है कि कहां राष्ट्रपति जी संसद् का अधिवेशन बुलावें । यह तो एक बिल्कुल स्वाभाविक बात है कि—चाहे गृह निर्माता ने यह न लिखा हो कि हम कहां बैठ कर संध्या पूजा करेंगे—जहां हमारा घर होगा वहीं बैठ कर हम संध्या पूजा करेंगे । जहां हमारा जनतन्त्र का मन्दिर है वहीं संसद् का अधिवेशन होगा । अगर आज हम कहें कि गया के मन्दिर को, या रामेश्वर के मन्दिर को या अमृतसर के अकाल तख्त को दिल्ली में ले आया जाए तो यह युक्तिसंगत नहीं होगा । जो मन्दिर जहां है वहीं उसका महत्व है । हमें अमृतसर के अकाल तख्त की परिक्रमा करने के लिए अमृतसर ही जाना होगा, अजमेर शरीफ की जियारत करने के लिए वहीं जाना

ठीक है । यह हमारा जनतन्त्र का मन्दिर है और इसे हम ने बड़े यत्न से और साधन से निर्माण किया है । हमारा अधिवेशन यहां ही होना चाहिए ।

एक भाई ने कहा कि यहां गरमी में लू बहुत चलती है । अगर हम लोग लू से डरेंगे तो देश का निर्माण कैसे होगा । हमारा काम है है कि हम लू का, सरदी का गरमी का मुकाबला करें । वर्षा और ओलों का भी मुकाबला करें ।

15.59 hrs

[SHRI SONAVANE *in the Chair*]

इसके अलावा एक बात औद्योगीकरण की कही जाती है । औद्योगीकरण के लिए हम नहीं बने हैं । हम सैनिकीकरण के लिए बने हैं ।

16 hrs.

[MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*]

हम चाहते हैं कि हमारे देश का सैनिकीकरण हो, हमारा बच्चा बच्चा फौजी बने । हमारी बेटियां तक राइफलें लेकर लैफ्ट राइट करती हुई चलें । देश की जो सम्पदा है वह हर जगह बांटी जाय । हली मध्य नहीं हो सकती है । देहली के माने हैं देहलीज–थ्रेशहोल्ड। देहलीज का अर्थ घर का दरवाजा, अब घर के दरवाजे की जहां स्थापना की है उस दरवाजे को अगर हम उसके स्थान से बदलेंगे तो हमारा सारा महल छिन्न भिन्न हो जायेगा । इसलिए मुझे बंगलौर में पार्लियामेंट का सैशन करने के लिए कोई दलील ऐसी नजर नहीं आई जिससे मैं कनविंस हो सकता जिसने यह कह सकूं कि हम संसद् का अधिवेशन बंगलौर अथवा हैदराबाद में ले जाकर करें । काफ़ी खर्चा होगा । हर एक मैम्बर को दो जगह स्थान देना पड़ेगा । यहां उसके परिवार के लोग रहेंगे और वहां उन्हें ठहरने के लिए हमें स्थान देना पड़ेगा । इसके अलावा राजनीति का सबसे बड़ा उसूल यह है :—

"स्थान भ्रष्टा न शोभन्ते, सिंहाः सत्पुरुषा गजाः"
अगर सिंहों, सत्पुरुषों और हाथियों को उनके स्थान से हटा दिया जाय तो उनकी शोभा नष्ट हो जायेगी । जिस जनतन्त्र के मन्दिर की रक्षा के लिए और यहां के सम्मान व निष्ठा की रक्षा के लिए महात्मा गांधी ने इतनी तपस्या की है जिससे लिए कि लाखों इंसानों ने अपनी कुर्बानी दी है, उस जनतन्त्र के मन्दिर की स्थापना यहां दिल्ली में हुई है और उसको कहीं और तबदील करना उचित नहीं जान पड़ता है । जो हमारे हैदराबाद और बंगलौर का इलाका है वह हमें बड़ा प्रिय है, हम उन इलाक़ों में बड़ी श्रद्धा रखते हैं, वे हमें बहुत अजीज़ हैं लेकिन जिस तरीक़े से एक मन्दिर को उठा कर हम दूसरे मन्दिर पर नहीं लाद सकते हैं । उसी तरह से जनतन्त्र के मन्दिर को दूसरी जगह ले जाना अच्छा नहीं प्रतीत होता ।

अगर इस तरह से हम संसद् के अधिवेशन अन्य अन्य स्थानों पर करने लगे तो यह एक रोमिंग थियेटर हो जायगा । यह श्री सत्य नारायणसिंह का एक रोमिंग सिनेमा बन कर रह जायेगा जो कि आज यहां दिखलाया जा रहा है तो कल कहीं और दिखाया जा रहा है । जिस तरह से कि प्रोफेसर राममूर्ति नायडू का सरकस अगर आज दिल्ली में दिखलाया जा रहा है, तो कल वह बम्बई में दिखलाया जा रहा है और परसों वह कलकत्ते में दिखलाया जा रहा है । यह जनतन्त्र का मन्दिर एक रोमिंग मूवी सिनेमा बन कर रह जायेगा । श्री सत्य नारायण सिंह इस तरह से संसद् का अधिवेशन एक जगह से दूसरी जगह दिखला कर दर्शकों को खुश करते फिरें यह कोई एक अच्छी बात नहीं होगी । जब जनतन्त्र के मन्दिर की यहां दिल्ली में स्थापना हुई है तो यहीं उस की पूजा होनी चाहिए । हैदराबाद और बंगलौर की मैं बड़ी इज्जत करता हूं । हमारे देश के निर्माण में उनका बड़ा हिस्सा है और उनकी भी इज्जत की जानी चाहिए । मैं इसकी कभी राय नहीं दूंगा कि हैदराबाद और बंगलौर में मन्दिरों को यहां लाया जाये उसी तरह से मैं नहीं चाहूंगा कि जनतन्त्र का दिल्ली

[श्री यशपाल सिंह]

का मन्दिर वहां ले जाया जाय। इन शब्दों के साथ मैं श्री प्रकाशवीर शास्त्री से बड़ी विनम्रता के साथ यह प्रार्थना करता हूं कि वह इस अपने प्रस्ताव को वापिस ले लें।

16.03 hrs.

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

USE OF GAS BY UNITED STATES IN VIETNAM AND GOVERNMENT OF INDIA'S REACTION THERETO

Shri P. R. Chakraverti (Dhanbad): I call the attention of the Minister of External Affairs to the following matter of urgent public importance and I request that he may make a statement thereon:

> The use of gas by U. S. in Vietnam and Government of India's reaction thereto.

Shri Nath Pai (Rajapur): Sir, on a point of order. We welcome the statement to be made by the Minister of External Affairs, but only yesterday, the Calling Attention Notice tabled by some other hon. Members was rejected. At what stage you came to accept it, we need to know. It is a kind of mysterious process. Yesterday we had very serious arguments about its being rejected and we pleaded with the Speaker that the Prime Minister may be requested to make a statement. The statement was to be made at the instance of the Speaker, at the request of ours. And today, we are told that it is admitted. What is the kind of rules that are followed in admitting or rejecting these notices? Yesterday, it was ruled out of order. Today it is admitted. I think this is very objectionable. We welcome the statement by the Minister, but we must know the process through which Parliament works; it cannot be mysterious.

Mr. Deputy-Speaker: Are you objecting to this statement?

Shri Nath Pai: Not at all. We welcome it. I am objecting to the procedure. (*Interruption*)

Shri Warior (Trichur): Yesterday, the Calling Attention Notice of Shrimati Renu Chakravartty was rejecttd by the Speaker.

Shri Bade (Khargone): Further, the procedure is that only those who are signatories to the Calling Attention Notice would be called upon to put questions and others are not allowed. But now, it seems to happen otherwise.

Shri Nath Pai: The Prime Minister was to make a statement, and at our request the Prime Minister yesterday agreed to make it. Today, an announcement was made that the Minister of External Affairs is going to make a statement. We welcome this, but it is a matter of procedure which we cannot ignore.

Shri Hari Vishnu Kamath (Hoshangabad): May I add, Sir, that it was the Prime Minister who yesterday agreed to make a statement. But today, the Minister of External Affairs has been called upon to make the statement. I do not know why this change has been made. It is most arbitrary.

Mr. Deputy-Speaker: I do not think the Prime Minister has said so. Anyway, I shall convey the wishes of the House to the Speaker.

The Minister of External Affairs (Shri Swaran Singh): We have learnt with distress and a sense of shock of the disclosure about the use of gas in South Vietnam affecting the Vietcong and the civilian population.

Ever since World War I, civilised opinion throughout the world has condemned gas, chemimal and bacteriological warfare. The revulsion of